HUMAN RIGHTS WATCH

यौन हिंसा के अदृश्य शिकार

भारत में विकलांग महिलाओं और लड़कियों की न्याय तक पहुँच

HUMAN RIGHTS WATCH

यौन हिंसा के अदृश्य शिकार
भारत में विकलांग महिलाओं और लड़कियों की न्याय तक पहुँच

सारांश तथा अनुशंसाएं

सारांश

पुलिस ने मुझसे बहुत भद्दे सवाल किए जैसे मैंने कैसा महसूस किया. .मैंने उन्हें बताया कि मैं पूरी तरह से बेहोश थी, तो मुझे कैसे पता चलता. पुलिस ने ऐसी बातें भी कहीं, "वह पागल है, मैं क्यों उसकी बातों पर ध्यान दूं"?

- 26 वर्षीय सुस्मिता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल की मनोवैज्ञानिक विकलांग महिला, फरवरी 2014 में चार पुरुष पड़ोसियों द्वारजिसे बेहोश किया गया और सामूहिक बलात्कार किया गया.

[पुलिस] को पीड़ित की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों तथा विकलांग महिलाओं और लड़कियों के साथ काम करने के तरीके के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए. ऊपर से नीचे तक प्रत्येक अधिकारी को संवेदनशील बनाना जरूरी है.

- संजय गुंज्याल, पुलिस महानिरीक्षक, उत्तराखंड

जून 2013 में, भारत के पश्चिम बंगाल में सेरेब्रल पाल्सी (मस्तिष्क पक्षाघात) पीड़ित एक 12 वर्षीय लड़की चंद्रा का अपहरण किया गया, बलात्कार किया गया और उसे अपने घर के पास एक खेत में रक्तस्राव की हालत में छोड़ दिया गया. चंद्रा बातचीत करने और खुद से बैठने, खड़े होने या चलने में असमर्थ होने के कारण न तो मदद मांग सकी और न ही घर जा पाई. कई घंटों के बाद, कुछ ग्रामीणों ने चंद्रा को खेत में पाया. कुछ महीने बाद स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उसकी मौत हो गई.

भारत में विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाली महिलाएं और लड़कियां यौन हिंसा संबंधी ज्यादा ज़ोखिम का सामना करती हैं. शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं के लिए हिंसक स्थितियों से बचना सीमित गतिशीलता के कारण अधिक मुश्किल हो सकता है. .जो बधिर हैं या जिन्हें सुनने में परेशानी होती है वे मदद के लिए गुहार लगाने में सक्षम नहीं हो सकतीं या दुर्व्यवहार के बारे में आसानी से बता नहीं सकती हैं अथवा अपने

आस-पास की आवाजों को सुनने में असक्षम होने के कारण उन पर हमले का खतरा ज्यादा होता है. विकलांग महिलाओं और लड़कियों, विशेषकर बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक रूप से विकलांग को उपलब्ध जानकारी के अभाव में यह पता नहीं होता कि बगैर सहमति के यौन सम्बन्ध अपराध हैं और ऐसा किये जाने पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए.

विकलांग महिलाओं और लड़कियों की न्याय तक पहुंच विशेष रूप से मुश्किल है. बड़े पैमाने पर ऐसा उनकी लैंगिकता और विकलांगता से जुड़े लांछन के कारण होता है. नतीजतन, वे अक्सर न्याय प्रक्रिया के हर चरण में अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं. जैसे कि पुलिस के पास उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाना, उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना और अदालती पाक्रिया से गुजरना. जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ललिथा कुमारमंगलम ने दिसंबर 2015 में कहा था: "[विकलांग] महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती [सेवाओं तक] पहुंच है, न सिर्फ शारीरिक बल्कि समान रूप से हर पहुंच के मामले में.."

दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक युवती की जानलेवा सामूहिक बलात्कार के बाद, भारत में महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा वैश्विक स्तर पर चर्चा में आ गई. जन आक्रोश और नागरिक समाज के प्रतिरोध के मद्देनजर सरकार ने यौन हिंसा के खिलाफ कानूनों को और मज़बूत प्रदान की जो कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 संशोधन) के रूप में जाना जाता है, उसने इसे लागू करने का इरादा भी घोषित किया.

इन संशोधनों में विकलांगों सहित सभी महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और ये जांच-पड़ताल एवं न्यायिक प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी में मदद करते हैं. उदाहरण के लिए, विकलांग महिलाओं और लड़कियों को अपने घर या अपनी पसंद की जगह पर पुलिस को बयान दर्ज कराने और शिकायत दर्ज कराते वक़्त और सुनवाई के दौरान दुभाषिए या सहयोगी व्यक्ति की मदद

प्राप्त करने का अधिकार है. यह संरक्षण उन महिलाओं को भी हासिल है जिन्हें गंभीर शारीरिक चोट लगी हैं या जिन्हें अस्थायी विकलांगता है.

विकलांग महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन हिंसा के 17 मामलों पर आधारित पर यह रिपोर्ट इन संशोधनों के स्वीकार किए जाने के पांच साल बाद आ रही है. साथ ही यह ह्यूमन राइट्स वॉच की नवंबर 2017 की रिपोर्ट "सब मुझे दोष देते हैं: भारत में यौन हमलों की उत्तरजीवियों के समक्ष न्याय और सहायता सेवाएं पाने में बाधाएं" के बाद प्रकाशित हो रही है. उक्त रिपोर्ट में यह पाया गया कि बलात्कार उत्तरजीवी अब भी न्याय और महत्वपूर्ण सहायता सेवाएं प्राप्त करने में बड़ी बाधाओं का सामना करते हैं क्योंकि कानूनी और अन्य सुधार पूरी तरह से ज़मीन पर नहीं उतर पाए हैं.

हमारी इस वर्तमान रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि 2013 में हुए संशोधनों से यौन हिंसा पीड़ितों के समक्ष व्यापक चुनौतियों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन अभी तक विकलांग महिलाओं और लड़कियों की सहायता के लिए प्रशिक्षण और आपराधिक न्याय प्रणाली में समग्र सुधार जैसे उपायों का विकास और उनका कार्यान्वयन नहीं किया गया है. यह रिपोर्ट कार्यान्वयन की कमियों को उजागर करती है और उत्पीड़न के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली विकलांग महिलाओं और लड़कियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ठोस उपायों की मांग करती है.

इन महिलाओं को अब यौन हिंसा के अदृश्य शिकार बने नहीं रहना चाहिए.

यौन हिंसा की रिपोर्टिंग

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के एक गांव की बौद्धिक तौर पर विकलांग 19 वर्षीय महिला "कंचन" के साथ एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा 2013 में कई बार बलात्कार किया गया. कंचन को पता नहीं था कि उसे बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, जिसका पता तब जाकर चला जब वह पांच महीने की गर्भवती हो गईं. और बौद्धिक विकलांगता

के कारण उसके लिए अपने साथ जो कुछ भी हुआ, उसे पुलिस को समझाना मुश्किल था.

यह असामान्य नहीं है. पूरी दुनिया में, विकलांग महिलाएं और लड़कियां अपने मामले दर्ज कराने में खास तरह के अवरोधों का सामना करती हैं जो उनकी शिकायत निवारण तक पहुंच में बाधा खड़ी करते हैं. भारत सरकार भी इस समस्या को स्वीकार करती है. भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2014 में जारी किए गए "यौन हिंसा के पीड़ितों/ उत्तरजीवियों के लिए चिकित्सीय-क़ानूनी देखभाल संबंधी दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल्स" के मुताबिक विकलांग महिलाओं और लड़कियों को यौन शोषण के मामले दर्ज कराने में विशेष अवरोधों का सामना करना पड़ता है:

... संवाद में होने वाली स्पष्ट बाधाओं के कारण और साथ ही देखभाल कर्ता जो उत्पीड़क भी हो सकते हैं, पर उनकी निर्भरता के कारण अवरोधों का सामना करना पड़ता है. जब वे मामले दर्ज कराते हैं, तो उनकी शिकायतें गंभीरता से नहीं ली जाती हैं और वह ऐसे तंत्र में अपनी बात रखने में चुनौतियों का सामना करते हैं, जो उन्हें ऐसी बात-चीत के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध नहीं कराता है. यह स्थिति को और जटिल बना देता है.

अभी तक, सरकार के पास विकलांग महिलाओं और लड़कियों पर होने वाले हमलों को दर्ज कराने की भी व्यवस्था नहीं है, उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीति और तंत्र की स्थापना की तो बात ही छोड़िये. भारत की यात्रा के बाद महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत राशिदा मंजू ने 2014 की एक रिपोर्ट में कहा था कि अलग-अलग आंकड़ों के संग्रह की लगातार कमी ने विकलांग महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को अदृश्य बना दिया है.

पुलिस के साथ अंतःक्रिया

विकलांग महिलाओं और लड़कियों को उनकी विकलांगताओं के अनुरूप प्रक्रियात्मक और आयु के उपयुक्त सुविधाओं और अन्य सहायता की आवश्यकता हो सकती है. इसमें

संकेत भाषा (साइन-लैंग्वेज) में बयान दर्ज करने की सुविधा, बयान दर्ज कराने में मदद के लिए किसी व्यक्ति ("विशेष शिक्षक") की उपस्थिति, सरल भाषा का उपयोग और ब्रेल लिपि में रिपोर्ट दर्ज करने का विकल्प शामिल हो सकता है.

हालांकि, यह सहायता भारत में प्रायः उपलब्ध नहीं है, जबकि 2013 के संशोधन और यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम, 2012, (पोक्सो) इन प्रावधानों को अनिवार्य बनाते हैं. ज्यादातर पुलिसकर्मियों के पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए प्रशिक्षण या विशेषज्ञ सहायता का अभाव रहता है.

दिल्ली में, 11 वर्षीय बौद्धिक तौर पर विकलांग पूजा के साथ उसके पड़ोसी द्वारा कथित रूप से बलात्कार किए जाने के बाद अगस्त 2013 में उसके पिता उसे लेकर थाने पहुंचे. बात-चीत में मदद के लिए पुलिस ने संकेत भाषा इंटरप्रेटर को बुलाया, लेकिन पूजा अपनी मानसिक स्थिति के कारण बात-चीत नहीं कर सकी ; वह बधिर नहीं है और उसे संकेत भाषा भाषा) का कोई ज्ञान नहीं है. हालांकि पुलिस जांच अधिकारी ने सहयोगी विशेष व्यक्ति को बुला कर सही काम किया लेकिन विशेष शिक्षक के उचित मार्गदर्शन के अभाव में उन्होंने पूजा की बौद्धिक अक्षमता का गलत आकलन किया.

कुछ मामलों में, ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाया कि महिलाओं और लड़कियों को अपनी विकलांगता प्रमाणित करने में असमर्थ रहने के कारण सहायता से वंचित कर दिया गया. यहां तक कि ऐसे मामलों में भी जिनमें साफ़ तौर पर महिलाओं और लड़कियों की शारीरिक विकलांगता दिखाई दे रही थी या उनकी विकलांगता की पहचान की जा चुकी थी, पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट में विशिष्ट विवरणों को दर्ज करने में विफल रही, जबकि यह दस्तावेज़ आपराधिक न्याय प्रक्रिया की दिशा तय करता है. पुलिस रिपोर्ट में दस्तावेजीकरण की कमी विकलांग महिलाओं और लड़कियों को पुलिस और न्यायपालिका से विशिष्ट ज़रूरतों पर आधारित सहायता प्राप्त करने से रोकती है.

अक्टूबर 2015 में, दिल्ली की बौद्धिक और शारीरिक दोनों ही तौर पर विकलांग 15 वर्षीय मेनका के साथ पड़ोस के दो पुरुषों द्वारा बलात्कार का मामला दर्ज किया गया. हालांकि मेनका के परिवार ने उसकी उम्र और विकलांगता के बारे में पुलिस को बताया, मगर एफआईआर में उसकी उम्र 18 वर्ष दर्ज की गई और उसकी विकलांगता को शामिल नहीं किया गया. नतीजतन, उसे पोक्सो एक्ट या 2013 के संशोधन के तहत संरक्षण नहीं मिला. मेनका की बौद्धिक और शारीरिक विकलांगता को दर्ज करने में पुलिस की विफलता ने सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया को भी कमज़ोर कर दिया.

मेनका के वकील ने बताया कि जब उसने पुलिस को अपना बयान दिया, जांच अधिकारी ने उसे कानून के अनुसार सहायताएं, जैसे विशेष शिक्षक की सहायता उपलब्ध नहीं कराईं. मेनका के वकील ने यह भी बताया कि पुलिस द्वारा मेनका के बयान की वीडियोग्राफी, ऐसा प्रावधान जो बार-बार गवाही के मानसिक आघात को कम करता है, नहीं किए जाने से उसके मामले में अदालती लड़ाई की चुनौतियां बढ़ गई हैं.

पश्चिम बंगाल की महिला मामलों की पुलिस उपायुक्त, देबश्री साबुज ऐसी कई कमियों के लिए पुलिस अधिकारियों के बीच प्रशिक्षण और सूचना के अभाव को ज़िम्मेदार मानती हैं:

हम प्रशिक्षित नहीं हैं. जब हम किसी विकलांग महिला से मिलते हैं, तो हमें यह पता नहीं होता है कि उससे अच्छी तरह से कैसे बात करें. पुलिस क्रूर नहीं हैं. ज्यादातर मामलों में पुलिस केवल अनजान होती है. ऐसा नहीं है कि हम उन पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें यह भी चिंता रहती है कि यदि हम कोई गलती करते हैं तो गलत व्यक्ति दंडित किया जाएगा. पुलिस को प्रशिक्षण की आवश्यकता है और हमें इन मामलों से निपटने के लिए संवेदनशील होने की ज़रूरत है.

चिकित्सीय देखभाल तक पहुंच संबंधी समस्याएं

यौन हिंसा के मामलों में, तत्काल चिकित्सीय देखरेख और जांच आपातकालीन चिकित्सीय आवश्यकताओं की पहचान कर सकती है और साथ ही समय पर सबूत इकट्ठा करने में मदद कर सकती है. 2014 में, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने "यौन हिंसा के पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए चिकित्सीय-क़ानूनी देखभाल संबंधी दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल्स" जारी किया, जिसमें विकलांग महिलाओं और लड़कियों की चिकित्सीय जांच की आवश्यकताओं को शामिल किया गया है, जैसे कि सहमति और चिकित्सीय इतिहास प्राप्त करने के लिए विशेष शिक्षक उपलब्ध कराना.

कई चिकित्सकीय पेशेवरों द्वारा चिकित्सीय जांच और प्रक्रियाओं के बारे में पर्याप्त रूप से समझाने और यह सुनिश्चित करने में विफलता कि विकलांग महिलाएं और लड़कियां इस प्रक्रिया में सहज महसूस करें, यौन हिंसा के मानसिक आघात को बढ़ा सकती हैं. उदाहरण के लिए, सौम्या ने कहा कि उसकी बेटी मेनका, जिसके मामले पर ऊपर चर्चा की गई है, को अस्पताल में अपने परिवार से अलग कर दिया गया और उसे ऐसी कई जांचों से गुजरना पड़ा जिन्हें वह नहीं समझ पाई.

वे जांच के लिए मेनका को अकेले ही अन्दर ले गए- वह डर गई थी. किसी ने भी उसे या मुझे यह नहीं बताया कि वे कौन सी जांच कर रहे हैं. उन्होंने उसे दवा दी लेकिन मैं नहीं जानती कि वह कौन सी दवा थी. मैंने इसके बाद मेनका को उसका पाजामा बाँधने में मदद की. मैंने उससे जांच के बारे में पूछा, लेकिन वह मुझे नहीं बता सकी. मैं साक्षर नहीं हूं इसलिए मैं कागजात नहीं पढ़ सकी.

न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना

अपराधों के कई पीड़ितों के लिए भारत में न्यायिक प्रक्रिया धीमी और दर्दनाक है. हालांकि, विशेष रूप से लम्बे चलने वाले कानूनी मामलों के दौरान अपरिचित और तनावपूर्ण अदालती माहौल विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए बड़ी चुनौती है.

विकलांग महिलाओं और लड़कियों तथा उनके परिजनों के बीच कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के अधिकार सहित अपने अन्य कानूनी अधिकारों की जानकारी का अभाव, कई लोगों को अपनी जरूरतों के लिए आवाज़ उठाने से रोकता है.

शांता मेमोरियल पुनर्वास केंद्र में नेशनल एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर लोकप्रिय कानूनगो ने ओडिशा के भुवनेश्वर के करुणा के मामले के बारे में बताया. करुणा की देखने की क्षमता कम है उसने जून 2013 में अपने साथ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था:

पुलिस ने करुणा को कानूनी सहायता प्राप्त करने में मदद नहीं की. एक आवासीय आश्रय गृह के कर्मचारी ने उसे वकील ढूंढने में मदद की, लेकिन उसकी सेवाएं नि:शुल्क नहीं थीं. उसके लिए वकील की सेवाएं लेना मुश्किल हो गया. इसने इस मामले में प्रगति को प्रभावित किया है.

अगस्त 2013 से, बौद्धिक तौर पर विकलांग कंचन और उसकी मां दिया को पांच बार अदालत का चक्कर लगाना पड़ा. अदालत की कार्यवाही के बारे कंचन को अच्छी तरह से समझाया नहीं गया. दिया ने एक साधारण सी गलतफहमी के बारे में बताया कि कंचन को अदालत में वादी के कठघरे में इंतज़ार करने के लिए कहा गया, जो उसके लिए बहुत ही सदमा भरा साबित हुआ.

जब वे कंचन को मुझसे दूर ले गए, तो वह रोने और चिल्लाने लगी. पुलिस ने मुझे समझाया कि वह मुझे देख पाएगी और वे उसे सीधे मेरी गोद में वापस दे जाएंगे. वह समझ नहीं सकी. वह डर गई और उसे लगा कि उसे हवालात ले जाया जा रहा है.

मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाइयां

भारतीय कानून और नीतियों के मुताबिक सभी राज्य सरकारों को मुआवज़ा देना है, इनमें उन मामलों में अंतरिम राहत देना शामिल है जिनमें अपराधी का पता या पहचान नहीं होने के कारण सुनवाई शुरू नहीं हुई है.

हालांकि, ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाया कि बर्बर हिंसा, सदमा और बलात्कार के बाद बच्चे को जन्म देने के कारण पैदा हुई आर्थिक विपत्तियों जैसे मामलों में भी विकलांग महिलाओं और लड़कियों को अदालत या आपराधिक हानि मुआवजा बोर्ड (क्रिमिनल इंजुरी कंपनसेशन बोर्ड) से मुआवज़ा हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोई मानक नियम नहीं है और राशि का निर्धारण अक्सर मनमाने ढंग से किया जाता है, इसे लेकर राज्यों के बीच भिन्नता है और यह मीडिया प्रचार द्वारा तय किया जा सकता है.

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के दूरदराज गांव की 23 वर्षीय नूरी एक मुस्लिम महिला है जो सेरिब्रल पाल्सी (मस्तिष्क पक्षाघात) और बोलने या छड़ी के बिना चलने में असमर्थता सहित अन्य तरह की विकलांगता की शिकार है. 2014 में, तीन पड़ोसियों द्वारा उसके बेहोश होने तक उसका सामूहिक बलात्कार किया गया. नूरी ने अपने चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए मुआवजे के लिए आवेदन दिया, लेकिन तीन साल के बाद उसे अभी तक मुआवजा नहीं मिला है.

यहां तक कि मुआवजा घोषित करने के बाद भी जरूरतमंद व्यक्ति तक पैसा नहीं भी पहुंच पाता. 13 वर्षीय रज़िया बौद्धिक तौर से विकलांग लड़की है जिसे बोलने में कठिनाइयां होती हैं. अगस्त 2014 में, उत्तराखंड के हरबतपुर के एक गाँव में उसके भाई के 17 वर्षीय ट्यूटर (शिक्षक) ने उसका बलात्कार किया. विकासात्मक और अन्य प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों और वयस्कों के साथ काम कर रहे संगठन लतिका रॉय फाउंडेशन की मदद से रजिया और उसके परिवार ने अदालत से न्याय पाने की कोशिश की और उन्हें जीत मिली. रजिया को दो लाख रुपये का मुआवजा स्वीकृत हुआ. हालांकि, रिपोर्ट लिखे जाने तक, परिवार को अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई थी.

2013 में, यौन हिंसा उत्तरजीवियों के "निवारण, संरक्षण और पुनर्वास" के लिए लक्षित योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने निर्भया कोष की स्थापना की. विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई विशिष्ट कोष भारत में मौजूद नहीं है और निर्भया कोष में विकलांग महिलाओं

का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है. इक्वल्स- सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ़ सोशल जस्टिस की मीनाक्षी बालासुब्रमण्यम बताती हैं:

निर्भया कोष में उन्हें विकलांग महिलाओं के लिए अलग से कुछ राशि रखनी चाहिए थी क्योंकि न्याय तक पहुँच और उचित सहायता प्राप्त करने में खर्च आता है, लेकिन विकलांग महिलाओं और लड़कियों की न्याय तक पहुँच के इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया..

विकलांग महिलाओं और लड़कियों एवं उनके परिवारों के लिए मुआवजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उनके लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या हाशिए के समुदायों से आते हैं. 2014 में, दीया और कंचन ने पश्चिम बंगाल सरकार की एक योजना के तहत मुआवजे के लिए आवेदन दिया. कंचन द्वारा अपने बेटे को साथ रखने के निर्णय के बाद, दीया के पास अपना काम छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. अभी, उनकी अपनी बेटी और नाती की देखभाल की ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से उन्हीं पर है और ऐसे में वह घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं. चार साल बाद, मामला बंद कर दिया गया है और मुआवजा संबंधी उनका आवेदन अभी भी लंबित है.

भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व ने यौन हिंसा पर बार-बार चिंता व्यक्त की है और कहा है कि वह सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है. विकलांग लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों पर सरकार को गर्व भी है.

2007 में, भारत ने विकलांग लोगों के अधिकारों पर कन्वेंशन (सीपीआरडी) की पुष्टि की. इस संधि के तहत, राज्य "दूसरों के साथ समान आधार पर विकलांगों के लिए न्याय तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं. इसमें जाँच तथा अन्य प्रारंभिक चरणों सहित सभी कानूनी कार्यवाही में, गवाह सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिभागियों के रूप में उनकी प्रभावी भूमिका को सुगम बनाने के लिए, प्रक्रियात्मक और आयु के उपयुक्त समायोजन के प्रावधान सम्मिलित हैं."

दिसंबर 2016 में, संसद ने दिव्यांग (विकलांग) व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य सभी विकलांगों को दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है और इसमें उपयुक्त सरकारी अधिकारियों, कार्यकारी मैजिस्ट्रेट और पुलिस द्वारा उठाए जाने वाले विशिष्ट उपायों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है.

हालांकि ये महत्वपूर्ण कदम हैं, फिर भी यौन हिंसा उत्तरजीवी विकलांग महिलाओं और लड़कियों की सहायता समेत आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और न्याय के लिए समान अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है. अब ये मामले उपेक्षित नहीं रहने चाहिए.

प्रमुख अनुशंसाएं

नीचे दी गई प्रमुख अनुशंसाएं यौन हिंसा की शिकार विकलांग महिलाओं और लड़कियों की विशिष्ट जरूरतों पर केंद्रित हैं. इन्हें ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट "सब मुझे दोष देते हैं: भारत में यौन हमलों की उत्तरजीवियों के समक्ष न्याय और सहायता सेवाएं पाने में बाधाएं" की अनुशंसाओं के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए.

भारत की केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए:

- विकलांग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में अधिकारों की रक्षा के लिए कानून और नीतियों को समुचित तरीके से लागू करें.
- यह सुनिश्चित करें कि विकलांग महिलाओं और लड़कियों सहित यौन हिंसा उत्तरजीवियों के अधिकारों के बारे में पुलिस, न्यायिक अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों और न्यायाधीशों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त हो. पुलिस और अदालतों की "विशेष शिक्षकों" तक पहुंच होनी चाहिए, जो विकलांगता को सही तरीके से पहचान सकते हैं और मदद या अन्य समायोजन प्रदान कर सकते हैं.
- सभी राज्यों और अधिकार-क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के "यौन हिंसा के पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए चिकित्सीय-क़ानूनी देखभाल संबंधी दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल्स" को अपनाएं और लागू करें. यह सुनिश्चित करें कि सभी चिकित्सा पेशेवरों को इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए.
- लिंग, विकलांगता व उम्र के आधार पर यौन हिंसा और लिंग आधारित हिंसा सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करें और उन्हें अलग-अलग वर्गीकृत करें ताकि विकलांग महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों को बेहतर ढंग संबोधित करने के लिए पर्याप्त सेवाएं तथा सरकार की संसूचित नीतियों और कार्यक्रमों को सुनिश्चित किया जा सके.

• सभी भारतीय राज्यों में विकलांग महिलाओं और लड़कियों सहित यौन हिंसा पीड़ितों को मुआवज़ा मुहैया कराने के लिए एक समान योजना तैयार करें. दिए जाने वाले मुआवज़ा में विकलांग पीड़ितों के अतिरिक्त खर्चों और उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए.

सम्पूर्ण अनुशंसाएं

भारत में बेहतरीन नीतिगत पहल अक्सर लचर कार्यान्वयन के कारण अंजाम तक नहीं पहुँचती हैं. यौन हिंसा के मामलों में विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुँच में मदद करने के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधान भी कोई अपवाद नहीं हैं.

विकलांग महिलाओं और लड़कियों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार को राज्य सरकारों, पुलिस, चिकित्सीय उपचार और फॉरेंसिक सुविधाओं, न्यायिक अधिकारियों, बाल कल्याण समितियों, राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोगों, कानूनी सहायता सेवाओं, विकलांग लोगों के संगठनों और अन्य संबंधित नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए.

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए

यौन हिंसा की रिपोर्टिंग

• आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 लागू करें और यौन हिंसा उत्तरजीवियों तक न्याय की पहुँच के लिए घोषित नीतियों पर अमल के लिए:

- 181-राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करें और यौन हिंसा के मामलों में मदद चाहने वाली सभी प्रकार की विकलांगता वाली महिलाओं और लड़कियों के लिए टेक्स्ट-आधारित सेवाओं की शुरुआत सहित 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करें.

- विभिन्न विकलांगता वाले लोगों के साथ काम करने के लिए सहयोगी लोगों ("विशेष शिक्षकों") को प्रशिक्षित करने के लिए प्रमाणन पाठ्यक्रम तैयार करें. यह आवश्यक है कि पुलिस, न्यायपालिका और बाल कल्याण समितियों द्वारा नियुक्त विशेष शिक्षक प्रशिक्षित और प्रमाणिक हों.

• विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत, विकलांग महिलाओं और लड़कियों एवं उनके परिवारों के अधिकारों और यौन उत्पीडन के मामलों में न्याय तक पहुंचने की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक जानकारी अभियान आयोजित करें और इसमें विकलांग महिलाओं और लड़कियों और उनके परिवारों को भी शामिल करें.

- यह सुनिश्चित करें कि जानकारी को सुलभ प्रारूपों में उपलब्ध कराया जाए, जिसमें ब्रेल, ऑडियो, संकेत भाषा, वीडियो और आसानी से समझ में आने वाले प्रारूप शामिल हों.

- सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी करें कि तमाम घरों में न्याय तक पहुंच बनाने के अधिकारों और प्रक्रियाओं के बारे में सुलभ सूचना का प्रसार आवश्यक है.

• सुनिश्चित करें कि निम्न कार्यों के जरिए बाल कल्याण समितियां यौन हिंसा की शिकार विकलांग लड़कियों की जरूरतें पूरा करने में समर्थ हों:

- यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मी विकलांग लड़कियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हों.

- विकलांग लड़कियों के अधिकारों और जरूरतों के आकलन और उन्हें पूरा करने में बाल कल्याण समितियों की सहायता करने के लिए विशेष शिक्षकों और दुभाषियों को नियुक्ति करना.

चिकित्सा उपचार और जांच

• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के "यौन हिंसा के पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए चिकित्सीय-क़ानूनी देखभाल संबंधी दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल्स" को स्वीकार करें और लागू करें.

- सुनिश्चित करें कि विकलांगों महिलाओं और लड़कियों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा पेशेवर प्रशिक्षित हों.

- विशेष शिक्षक और संकेत भाषा दुभाषियों को नियुक्त करें ताकि अस्पताल और चिकित्सा केंद्र सुलभ सेवाएं प्रदान कर सकें.

- इन दिशानिर्देशों पर डॉक्टर, पारा-चिकित्सक, नर्स और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सावधिक प्रशिक्षण आयोजित करें.

- सुनिश्चित करें कि मेडिकल फॉर्म और सहमति फॉर्म स्थानीय भाषा में हों, पढ़ने में आसान हों और अन्य सुलभ फॉर्मेट में उपलब्ध हों.

- यह सुनिश्चित करें कि सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने वाले सरकारी और निजी अस्पताल विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 द्वारा परिभाषित सार्विक प्रारूप के अनुसार विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए सुलभ हों.[1]

- उत्तरजीवी महिलाओं के "दो अंगुली जांच" और इसी तरह के सभी फॉरेंसिक जांच के मामले में 2014 के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों को लागू करें, क्योंकि यह एक अवैज्ञानिक, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार है.

- भारतीय मेडिकल एसोसिएशन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया से यह मांग करें कि यौन हिंसा पीड़ितों के उपचार और जांच के लिए मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण हेतु सभी मौजूदा और आगामी प्रशिक्षण मॉड्यूल और चिकित्सीय मानदंडों में विकलांग महिलाओं और लड़कियों की विशेष जरूरतों को शामिल करें.

[1] विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन सार्विक प्रारूप की निम्नलिखित परिभाषा प्रस्तुत करता है: "सार्विक प्रारूप" का अर्थ है कि उत्पाद के प्रारूप, पर्यावरण, कार्यक्रम और सेवाएं अधिकतम हद तक अनुकूलन या विशेष प्रारूप के बगैर सभी लोगों दवारा प्रयोग करने योग्य हों. "सार्विक प्रारूप" आवश्यकता के अनुसार विकलांग लोगों के विशिष्ट समूहों के लिए सहायता उपकरणों को बहिष्कृत नहीं करेगा." सीआरपीडी, अनु- 2.

मुआवजा और पुनर्वास

• सुनिश्चित करें कि सभी राज्य बलात्कार पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य न्यूनतम राशि का भुगतान करें.

• जिला और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकारों को मुआवजा देने का निर्देश दें जो कि विकलांग महिलाओं और लड़कियों की विशेष आवश्यकताओं में मददगार होता है.

• यह सुनिश्चित करें कि उत्तरजीवी महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय गृह और अल्पावास आश्रय स्थल विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए भी सुलभ हों.

- विकलांग महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और विशेष आवश्यकताओं पर आश्रय गृह और अल्पावास आश्रय स्थलों के संचालकों को प्रशिक्षित करें.
- आश्रय गृह और अल्पावास आश्रय स्थलों को सभी प्रकार की विकलांगता वाली महिलाओं और लड़कियों के लिए सुलभ बनाएं.
- यह सुनिश्चित करें कि आश्रय गृह और अल्पावास आश्रय स्थलों में रहने की अवधि आश्रय चाहने वाली महिला और लड़की की सहमति से निर्धारित की जाए.

निर्भया कोष

• विकलांग महिलाओं और लड़कियों की पहुंच और उचित समायोजन में मदद के लिए निर्भया कोष की विशिष्ट राशि आवंटित करें.

• निर्भया कोष के वितरण के लिए पारदर्शी तंत्र बनाएं.

• सुनिश्चित करें कि वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटरर्स विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए समुचित सुविधाओं से लैस और सुलभ हों, जिनमें कर्मचारियों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण शामिल है.

व्यवस्थित आंकड़ा संग्रह

• विकलांग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन व लिंग-आधारित हिंसा के अपराधों के विश्लेषण की सुविधा प्रदान करने और सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं द्वारा

बेहतर तरीके से उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों को लिंग, विकलांगता और उम्र के आधार पर पृथक रूप से उपलब्ध कराएं.

न्यायपालिका के लिए

• यह सुनिश्चित करें कि फास्ट ट्रैक अदालतें और फैमिली कोर्ट भौतिक पहुँच, आवागमन और प्रक्रियात्मक पहलुओं के मामले में सुलभ हों.

• राष्ट्रीय और राज्य न्यायिक अकादमियों के साथ परामर्श कर यौन हिंसा के मामलों में विकलांग उत्तरजीवियों के अधिकारों पर निचली अदालत और अपीलीय न्यायालयों के न्यायाधीशों और सरकारी वकील के प्रशिक्षण का विस्तार कर इन बातों को शामिल करें:

- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 और यौन अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत विकलांग महिलाओं और लड़कियों से संबंधित प्रावधानों पर प्रशिक्षण.
- विकलांग व्यक्तियों को मदद करने वाले लोगों को यौन उत्पीड़न के मामले में सटीक गवाही दर्ज कराने के लिए इस तरह संवेदनशील बनाना जिससे कि यह उत्तरजीवियों को कम-से-कम मानसिक आघात पहुंचाए और प्रतिवादी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की रक्षा करे.

• सुनिश्चित करें कि मजिस्ट्रेट को विकलांग लोगों की सहायता से सम्बन्धित विशिष्ट प्रशिक्षण मिला हो.

- सभी न्यायिक कार्यवाही में विकलांग महिलाओं और लड़कियों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों और दुभाषियों की नियुक्ति करें.
- यौन हिंसा की शिकार विकलांग महिलाओं और लड़कियों की तात्कालिक जरूरतें पूरा करने के लिए अंतरिम मुआवजा का शीघ्र निबटारा करें.

केंद्रीय तथा राज्य गृह मंत्रालय और पुलिस सेवा के लिए

• यौन हिंसा के मामलों में विकलांग महिलाओं और लड़कियों को अपने अधिकारों के बारे में सुलभ जानकारी प्रदान करें.

- विशेष शिक्षकों और दुभाषियों को नियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायता उपलब्ध हों और ये मुहैया कराई जा रही हों

• मंडल और जिला पर्यवेक्षण अधिकारियों को हर ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज करने हेतु उपयुक्त, सुसंगत और स्पष्ट निर्देश जारी करें जिसमें पुलिस को ऐसी जानकारी मिली हो जो साफ़ तौर पर, विकलांग महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन हिंसा सहित, यौन हिंसा की घटना के बारे में संकेत करती हों.

- सुनिश्चित करें कि महिला या लड़की की विकलांगता के बारे में एफआईआर में जानकारी दर्ज की गई है, भले ही उन्होंने विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो अथवा नहीं.

• कड़ाई से सुनिश्चित करें कि शिकायतकर्ता को पूरा एफआईआर पढ़ कर सुनाया जाए और उन्हें इसकी एक कॉपी मुफ्त मिले. यह सुनिश्चित करें कि एफआईआर में दी गई जानकारी विकलांग लोगों या विकलांग बच्चों के माता-पिता के लिए सुगम तरीके से दर्ज की गई हो.

• महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या, उनकी पदोन्नति के अवसरों और महिला पुलिस थानों की संख्या बढ़ाएं. सुनिश्चित करें कि महिला पुलिस अधिकारी विकलांग महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और विशेष जरूरतों के प्रति संवेदनशील हों, इसमें यौन हिंसा पीड़ितों की मदद करना, उनके कथन को रिकॉर्ड करना और आपराधिक जांच के लिए उनका साक्षात्कार करना शामिल है.

• पुलिस थानों को निर्देश दें कि यौन हिंसा और अन्य अपराधों के मामलों में सहायता मांगने वाली विकलांग महिलाओं और लड़कियों की मदद के लिए विशेष शिक्षकों और कानूनी सहायता प्रदाताओं की सूची तैयार करें.

• विकलांग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों के अभियोजन पर पुलिस के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करें. प्रशिक्षण की विषयवस्तु में इन बातों को शामिल किया जाना चाहिए:

- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 और यौन अपराध से बाल संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत विकलांग महिलाओं और लड़कियों से संबंधित प्रावधानों पर प्रशिक्षण.

• शिकायतें दर्ज करने, उचित और प्रभावी सहायता तक पहुँच बनाने, तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और कानूनी सलाह और अन्य सहायता सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को मदद करने वालों को संवेदनशील बनाना.

• यौन हिंसा के जांच अधिकारियों का अनिवार्य प्रशिक्षण. प्रशिक्षण में विकलांग व्यक्तियों की सहायता, सदमाग्रस्त पीड़ितों के साथ कार्य, उत्पीड़न से पीड़ितों की रक्षा, फोरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा करना और सबूत एकत्र करना एवं उनका संरक्षण सहित यौन हिंसा के मामलों पर लागू खोजी तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए.

भारतीय संसद के लिए

• पीड़ित और गवाह सुरक्षा कानून बनाएं जिसमें विकलांग महिलाओं और लड़कियों सहित उन सभी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को शामिल किया जाए जो यौन हिंसा के मामले दर्ज कराने में प्रति-हिंसा का सामना करती हैं. कानून में केंद्र और राज्य सरकारों को यह निर्देश हो कि वे गवाह सुरक्षा कार्यक्रमों का पर्याप्त वित्तपोषण करें.

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के लिए

• सभी विकलांग महिलाओं और लड़कियों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (मानसिक तौर से रोगग्रस्त व्यक्तियों और मानसिक विकलांगता के लिए कानूनी सेवाएं) योजना, 2010 का विस्तार करें. योजना की भाषा संशोधित करें ताकि यह विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के कन्वेंशन के अनुरूप हो.

• विकलांग महिलाओं और लड़कियों तथा विकलांग लोगों के संगठनों के बीच यौन हिंसा के मामलों में मुफ्त कानूनी सेवाओं तक पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाएं.

• विकलांग महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों एवं विशेष जरूरतों पर राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को प्रशिक्षित करें.

राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोगों के लिए

• सुनिश्चित करें कि महिलाओं और बच्चों की हेल्पलाइन देशभर में 24 घंटे काम करे और वे विकलांग महिलाओं और लड़कियों की सहायता करने के लिए प्रशिक्षित हों.

• विभिन्न विकलांग व्यक्तियों, उनके प्रतिनिधि संगठनों और विकलांगता अधिकार विशेषज्ञों से परामर्श कर यह सुनिश्चित करें कि हेल्पलाइन विभिन्न विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों. उदाहरण के लिए, बधिर या जिन्हें सुनने में कठिनाई है, ऐसी महिलाओं के लिए फोन हेल्पलाइन में टेक्स्ट-आधारित (सक्षम) सेवाएं भी होनी चाहिए.

• कार्यालय आयुक्त नि:शक्तजन और राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोगों के विकलांग महिलाओं और लडकियों के न्याय तक पहुँच संबंधी कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करें.

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अन्य संबंधित सरकारों, विदेशी दाताओं और सहायता एजेंसियों के लिए

• भारत सरकार को विकलांगों के अधिकारों पर कन्वेंशन के तहत न्याय तक पहुँच के लिए विशेष जोर देते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करें:

• अनुच्छेद 13 के अनुरूप, दूसरों के साथ समान आधार पर विकलांग व्यक्तियों के न्याय के लिए प्रभावी पहुंच के लिए मांग करें , जिसमें "जाँच तथा अन्य प्रारंभिक चरणों सहित सभी कानूनी कार्यवाही में, गवाह सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतिभागियों के रूप में उनकी प्रभावी भूमिका को सुगम बनाने के लिए, प्रक्रियात्मक और आयु के उपयुक्त समायोजन के प्रावधान सम्मिलित हैं."

• शोषण, हिंसा और उत्पीडन के मामलों से बचने, उन्हें पहचानने और उनसे सम्बंधित मामला दर्ज करने के बारे में जानकारी प्रदान करने सहित सभी प्रकार के शोषण,

हिंसा और उत्पीड़न से विकलांग व्यक्तियों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 16 द्वारा निर्धारित सभी उचित उपायों की मांग करें.

• यौन हिंसा के मामलों में विकलांग व्यक्तियों की न्याय तक पहुँच में मदद संबंधी गतिविधियों में भारत के विकलांग व्यक्तियों के संगठनों को शामिल करने के लिए ज्यादा सहायता प्रदान करें.

यौन हिंसा के अदृश्य शिकार

भारत में विकलांग महिलाओं और लड़कियों की न्याय तक पहुँच

अल्प दृष्टि वाली महिला करुणा ने अपने परिवार को यह नहीं बताया एक दृष्टिहीन आदमी ने उसके साथ बलात्कार किया. करुणा ने बताया, उसने " मुझे किसी को नहीं बतानेकी धमकी दी मैंने .किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं डर गई थी.(ओडिशा) ".

© 2016 शांथा राव बरिंगाह्यूमन राइट्स वॉच/ Human Rights Watch

रज़िया बी (बदला हुआ नाम)द्विक तौर पर विकलांग है और उसे बोलने में कठिनाई होती है . वह 13 वर्ष की थी जब 2014 में उसके भाई के ट्यूटर ने उसका बलात्कार किया. रजिया अभी भी जनवरी 2016 में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मुआवजा का इंतजार कर रही है .(उत्तराखंड)

© 2017 ह्यूमन राइट्स वॉच के लिए अभिषेक कुमार मेहन

भारत में विकलांग महिलाओं और लड़कियों को यौन हिंसा का उच्च स्तर पर जोखिमों का सामना करना पड़ता है. उन्हें हिंसक परिस्थितियों से बच कर भागने, मदद के लिए गुहार लगाने में बड़ी कठनाइयों तथा उत्पीड़न बयान करने में अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. उनमें बहुत सी यह भी नहीं जानती कि बिना सहमति के यौन कृत्य अपराध हैं और इसकी शिकायत दर्ज की जानी चाहिए. यौनिकता और विकलांगता से जुड़े लांछन के कारण, विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय तक पहुंच ख़ास तौर से मुश्किल है. नतीजतन, पहले से ही चुनौतीपूर्ण न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण- जैसे पुलिस में उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने, उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने, अदालती प्रक्रिया से गुजरने और मुआवजे की मांग करने में अक्सर उन्हें जरूरी मदद नहीं मिल पाती है.

भारत के आठ राज्यों में विकलांग महिलाओं और लड़कियों के साथ हुई यौन हिंसा के 17 मामलों पर आधारित यह रिपोर्ट "यौन हिंसा के अदृश्य शिकार" उन विशिष्ट चुनौतियों की पड़ताल करती है जिनका सामना विकलांग महिलाएं और लड़कियां यौन हिंसा मामलों में न्याय प्राप्त करने के दौरान करती हैं. रिपोर्ट यह बताती है कि 2013 के कानूनी सुधारों से हालाँकि पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन सरकार ने अभी तक विकलांग उत्तरजीवियों के लिए पर्याप्त सहायता शुरू नहीं की है.

भारत सरकार और राज्य सरकारों को यौन हिंसा मामलों में न्याय की मांग करने वाली विकलांग महिलाओं और लड़कियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ठोस उपाय करना चाहिए, साथ ही उसे पुलिस, स्वास्थ्य कर्मचारियों तथा न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सुदृढ़ व्यवस्था करनी चाहिए और ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करना चाहिए जिसमें विकलांग महिलाएं एवं लड़कियां आपराधिक न्याय प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भाग लेने सकें. सरकार को लांछना कम करने और विकलांगता अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जन सूचना अभियान भी चलाना चाहिए.